न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक-48ए/2014</u> संस्थापन दिनांक-28.02.2012

विरुद्ध

1—मेहतलाल पिता किसनलाल, उम्र 45 वर्ष, जाति पंवार, निवासी—लिंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—गंगा पिता फागू , उम्र 50 वर्ष, जाति महार, निवासी—लिंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—गणेश पिता मुन्नूलाल उम्र 35 वर्ष, जाति महार, निवासी—लिंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर, बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)

_ _ _ _ <u>प्रतिवादीगण</u>

-:// <u>निर्णय</u> //:-(<u>आज दिनांक-18/11/2014 को घोषित)</u>

- 1— वादी ने प्रतिवादीगण के विरूध्द यह व्यवहार वाद मौजा लिंगा प.ह.न. 15 रा.नि.म. व तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 258/7 रकबा कमशः 1.82 एकड़/0.737 हेक्टेयर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से सम्बोधित किया जावेगा) पर हस्तक्षेप करने से रोकने स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के हक व मालिकयत व कब्जे की विवादित भूमि पर वादी का लम्बे समय से शांतिपूर्वक कब्जा चले आ रहा है। वादी की उक्त भूमि और उसके सामने के आने—जाने के रास्ते से लगकर शासकीय भूमि पर प्रतिवादीगण अतिकमण कर रहे है, जिससे वादी का सुखाधिकार नष्ट हो रहा है। वादी विवादित भूमि में जिस सड़क से आता—जाता है वह खसरा नम्बर 247 की शासकीय भूमि है। उक्त भूमि से लगकर वादी की भूमि जो क, ख, ग, घ भू—भाग से वाद मानचित्र में दर्शित की गई है, पर प्रतिवादी कमांक—1 ने वादी की पार को तोड़कर क्षति पहुंचाते हुये, खाली जगह पर नींव खोदकर दीवार बनाना शुरू कर दिया है। प्रतिवादी कमांक—1 से 3 ने एक राय होकर वादी के आधिपत्य वाले भू—भाग पर जबरन कब्जा करने के आशय से वादी को धमकी दे रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अतिकमण से वादी को सड़क पर आने—जाने का रास्ता एवं सड़क पर लगकर वादी के सुखाधिकार को नष्ट कर रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादी की भूमि में अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषधाज्ञा चाही है।

4— प्रतिवादी कमांक—1 से 3 ने वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि वादी ने उसके हक व आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिये जाने बाबत् एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के समक्ष पेश किया था, जिस पर राजस्व न्यायालय तहसीलदार परसवाड़ा को निर्देशित कर राजस्व निरीक्षक के द्वारा मौके की जांच व सीमांकन करवाया गया था। राजस्व निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवादीगण का कब्जा विवादित भूमि पर नहीं पाया एवं वादी द्वारा शासकीय मद की भूमि व रास्ता खसरा नम्बर 247 में से रकबा 0.05 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा किया जाना पाया था। प्रतिवादी कमांक—1 आवासहीन व्यक्ति होने के कारण ग्राम पंचायत लिंगा ने उसके आवेदन पत्र के आधार पर प्रतिवादी कमांक—3 गणेश की पत्नी सुनीता के नाम पर खसरा नम्बर 248/4 रकबा 8.00 एकड़ में से 0.05 डिसमिल भूमि का पट्टा प्रदाय किया है, इसी प्रकार प्रतिवादी कमांक—2 मेहतलाल की पत्नी भगवंताबाई को उक्त भूमि में से 0.05 डिसमिल भूमि पट्टे पर दी गई है। प्रतिवादी कमांक—1 व 3 ने पट्टे पर प्राप्त भूमि पर मकान का निर्माण प्रारम्भ किया था। प्रतिवादी कमांक—2 का

विवादित भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण को परेशान करने के आशय से वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त किया जावे।

- 5— प्रतिवादी क्रमांक—4 प्रकरण में एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।
- 6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :--

| | (A) / | |
|-------|---|----------------------------------|
| क्रं. | 🔊 📉 वाद-प्रश्न | निष्कर्ष |
| 1 | क्या वादी विवादित भूमि खसरा नम्बर 258/07 रकबा 1.82/0.737 हेक्टेयर स्थित मौजा लिंगा, प.ह.नं. 7/15 रा.नि.मं. परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट का वैध आधिपत्यधारी है ? | प्रमाणित |
| 2 | क्या वादी के उक्त विवादित भूमि के आधिपत्य में प्रतिवादीगण विधित के सम्यक् अनुक्रम का पालन किए बिना अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ? | प्रमाणित नहीं |
| 3 | क्या वाद में पक्षकार के कुसंयोजन का दोष है ? | प्रमाणित नहीं |
| 4 | सहायता एवं व्यय ? | निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार |

—ः <u>सकारण निष्कर्ष</u> ः— <u>वादप्रश्न क्रमांक—1 एवं 2 का निराकरण</u>

- 7— उक्त दोनों वादप्रश्न का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य है तथा उनके आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है।
- 8— वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि का खसरा नम्बर 258 / 7 व उससे लगी हुई भूमि का राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—1, विवादित भूमि का खसरा फार्म व किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2010—11 की प्रमाणित प्रतिलिपि कमशः प्रदर्श पी—2 एवं 3 पेश की है, जिससे यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि वादी के नाम पर दर्ज है। राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक—15.04.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—5, पंचनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—6, फिल्ड बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—7 व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—7 व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—8 पेश की गई है। उक्त सीमांकन कार्यवाही की रिपोर्ट के

अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी फूलचंद के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा ने विवादित भूमि का सीमांकन कर बादी को उसकी भूमि की चतुरसीमा से अवगत कराया गया था।

वादी के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी बैहर ने तहसीलदार परसवाड़ा को वादी की भूमि पर अवैध कब्जा करने बाबत् जांच करने का निर्देश दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा उक्त कि संबंध में जांच किये जाने बाबत् राजस्व प्रकरण की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-1, जांच हेतु दिया गया ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-2. कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी दिनांक-9 जनवरी 2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-3, पत्र दिनांक-23.02.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी—5, राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक-26.02.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-6, पंचनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-7, नक्शा की प्रमणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-8 एवं अनुविभागीय अधिकारी बैहर को नायब तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा जमीन का अवैध कब्जा हटाने बाबत् दिया गया प्रतिवेदन दिनांक-29.02.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-10 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी फूलचंद के द्वारा उसकी विवादित भूमि पर अवैध कब्जा की जांच बाबत् राजस्व अधिकारीगण को आवेदन पेश किया गया था, जिस पर नायब तहसीलदार परसवाडा ने राजस्व निरीक्षक परसवाडा से सीमांकन कर प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया था। राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा ने वादी के आधिपत्य की विवादित भूमि का सीमांकन कर यह प्रतिवेदन पेश किया है कि वादी की भूमि पर किसी का अवैध कब्जा नहीं पाया गया है, बल्कि स्वयं वादी का ही शासकीय भूमि मद रास्ता के रकबा 0.05 एकड़ भूमि पर कब्जा पाया गया। उक्त प्रतिवेदन में अनावेदक गणेश, टिकेश, मेहतलाल के द्वारा वादी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने और मात्र शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उक्त सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा न होना प्रकट होता है।

10— वादी फूलचंद (वा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादपत्र के नजरी नक्शा में दर्शित अ, ब, स, द वाले भू—भाग पर अतिक्रमण नहीं है और सीमांकन के समय उसकी भूमि पर उसी का कब्जा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सीमांकन के समय उसकी जमीन पर किसी का अतिक्रमण नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर प्रतिवादीगण की बाउंड्रीवाल एवं मकान तैयार हो चुका है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसकी जमीन पर मकान बनाया गया है। इस प्रकार साक्षी ने प्रकरण में प्रस्तुत महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सीमांकन प्रतिवेदन व पंचनामा से हटकर

कथन किये हैं, जिस कारण उसकी साक्ष्य विश्वसनीय योग्य प्रतीत नहीं होती है। साक्षी के कथन से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रतिवादीगण ने उसकी भूमि पर मकान नहीं बनाया है तथा जिस भूमि पर मकान का निर्माण किया गया है, वह पूर्ण हो चुका है। 11— ऐसी दशा में वादी पर यह साबित करने का भार था कि प्रतिवादीगण ने उसकी भूमि या उसके सुखाधिकार वाली भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया है, जिससे उसके हित प्रभावित हो रहें है। वादी ने उक्त के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की है। वादी ने अपने समर्थन में ताराचंद (वा.सा.2), देवलाल (वा.सा.3) की साक्ष्य करायी है। ताराचंद (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादी की भूमि से लगे रास्ते के बाद 8—10 लोगों ने मकान बनाया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार कि प्रतिवादी महेतलाल व गणेश का मकान फूलचंद की भूमि पर नहीं है, बल्कि सरकारी भूमि पर है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में फूलचंद अपनी खेती बाड़ी करने 6—7 फूट के रास्ते से आसानी से आ जा सकता है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने वादी के आधिपत्य की भूमि पर न तो अवैध कब्जा किया है और न ही प्रतिवादीगण के द्वारा बनाये गये मकान से वादी का आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हुआ है।

- 12— देवलाल (वा.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी मेहतलाल की पत्नी भंगवंताबाई एवं प्रतिवादी गणेश की पत्नी सुनीताबाई को शासकीय पट्टा दिया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण के जो मकान बने हुये है उसके उत्तर में सड़क है तथा दक्षिण में फूलचंद की जमीन है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दक्षिण में फूलचंद द्वारा कब्जा की गई जमीन है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शासन ने भूमि रोड के लिये छोड़ा है, जिससे किसान आ जा सकते है तथा उस रोड़ से फूलचंद भी आ जा सकता है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादीगण ने न तो वादी के आधिपत्य की भूमि पर अतिकमण किया है और न ही उनके द्वारा निर्माण किये गये मकान से वादी का रास्ता अवरूद्ध हुआ है।
- 13— प्रतिवादीगण की ओर से अपने स्वयं मेहतलाल (प्र.सा.1) ने अपनी साक्ष्य पेश की है, जिसने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये है तथा प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अन्य प्रतिवादी साक्षी लेखराम वरकड़े (प्र.सा.2) एवं फागूलाल (प्र.सा.3) ने भी प्रतिवादीगण का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है, जिनका खण्डन उनके प्रतिपरीक्षण में वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।
- 14— प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार से

अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण नहीं किया है, बल्कि प्रस्तुत साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि प्रतिवादीगण ने शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य किया है तथा वादी भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार वादी को प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 के विरूद्ध कोई वाद कारण एवं निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

वादी का बाद कथित सुखाधिकार पर आधारित है, किन्तु वादी ने वाद 15-में कथित सुखाधिकार हेतु स्वत्व की घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है और न ही वादपत्र में उसे रास्ते में आवागमन हेत् प्राप्त कथित सुखाधिकार के संबंध में स्पष्ट अभिवचन किया है। वादी जिस शासकीय भूमि वाले रास्ते में कथित सुखाधिकार के आधार पर निषेधाज्ञा चाह रहा है, उसके संबंध में वादी को म.प्र. शासन को आवश्यक पक्षकार बनाते हुये वादपत्र में यह स्पष्ट अभिवचन किया जाना था कि वह कथित शासकीय भूमि में बिना रोक-टोक के शांतिपूर्वक लगभग 30 वर्ष से रास्ते का उपयोग आने–जाने हेतु कर रहा है। वादी उक्त अभिवचन के अभाव में, म.प्र.शासन को आवश्यक पक्षकार बनाये बगैर तथा शासन के विरूद्ध कथित सुखाधिकार की घोषणा कराये बगैर वाद में कोई अनुतोष पाने की पात्रता नहीं रखता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा कथित अवैध हस्तक्षेप करने का तथ्य प्रमाणित नहीं है और न ही वादी को कथित सुखाधिकार प्राप्त होने का तथ्य प्रमाणित है। वादी ने मात्र यह प्रमाणित किया है कि वह विवादित भूमि का वैध आधिपत्यधारी है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक-1 'प्रमाणित' तथा वादप्रश्न क्रमांक- 2 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किये जाते है।

वादप्रश्न कमांक-3 का निराकरणः-

16— यह साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि वाद में पक्षकारों का कुसंयोजन है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने लिखित कथन में मात्र औपचारिक रूप से अभिवचन किये गये है कि वाद में वादी ने पक्षकारों का कुसंयोजन किया है, किन्तु किस पक्षकार को अनावश्यक रूप से संयोजित किया गया है, यह खुलासा न तो अभिवचन में और न ही साक्ष्य में किया गया है। वादी ने स्थायी निषधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया है, जिसमें कथित रूप से उसकी आधिपत्य की भूमि पर अतिक्रमण से रोकने का अनुतोष चाहा है। ऐसी दशा में वादी कथित अतिक्रमण करने वाले उन व्यक्तियों के विरुद्ध वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है। यद्यपि वादी ने उसके आधिपत्य की भूमि पर कथित अतिक्रमण किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं किया है, किन्तु वाद में प्रतिवादी क्रमांक—1 से 3 के कुसंयोजन अथवा असंयोजन

होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक—3 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय्

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। फलस्वरूप वादी का वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है।

- (1) वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
- (2) वादी अपने साथ प्रतिवादीगण का भी वादव्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर